बिहार सरकार
संसदीय कार्य विभाग
।। अधिसूचना ।।

अधि० सं०–सं०का०–1/वि०मं०(महानुभाव)08–02/2024–........./पटना, दिनांक–............. 2026

बिहार विधान मण्डल के पदाधिकारी (वेतन एवं भत्ते) नियमावली, 2006 (अद्यतन संशोधित) के नियम–3 (ख) के आलोक में श्री नरेन्द्र नारायण यादव, माननीय उपाध्यक्ष, बिहार विधान सभा को संसदीय कार्य विभाग की अधिसूचना संख्या–927, दिनांक 23.12.2025 के द्वारा 04.12.2025 के प्रभाव से राज्य मंत्री के दर्जा के समान वेतन, भत्ते और अन्य सुविधायें प्रदत्त हैं। फलस्वरूप उक्त नियमावली के नियम 2(ण) एवं 3 (ख) द्वारा इन्हें उक्त दर्जा के अनुरूप निजी स्टाफ की सुविधा प्राप्त है।

2. बिहार (मंत्रियों के वेतन और भते) अधिनियम, 2006 के धारा 2(ख) एवं बिहार के मंत्री (वेतन एवं भत्ते) नियमावली, 2006 के नियम 18 से निर्धारित अनुसूची–1 एवं मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की अधिसूचना सं०–288, दिनांक–23.06.2014 द्वारा मंत्री, राज्य मंत्री तथा उप मंत्री को सरकारी एवं बाह्य सेवा के निजी कर्मचारी की सुविधा अलग–अलग प्रावधानित की गयी है।

3. उपरोक्त वर्णित अधिनियम एवं नियमावली के प्रावधानों के आलोक में श्री नरेन्द्र नारायण यादव, माननीय उपाध्यक्ष, बिहार विधान सभा द्वारा राजपत्रित पदाधिकारी के श्रेणी में श्री राजीव कुमार, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक–1040/24, गृह जिला–नालन्दा, वरीय उप समाहर्त्ता, पटना को अपने आप्त सचिव (राजपत्रित) के पद पर प्रतिनियुक्ति हेतु उनके पत्रांक–16/26 (का0), दिनांक–12.01.2026 द्वारा इस स्वघोषणा के साथ सूचना दी गयी है कि वे उनके सगे–संबंधी नहीं है। उपर्युक्त अनुशंसा के आधार पर उक्त पदाधिकारी की सेवा आप्त सचिव (राजपत्रित) के रूप में कार्य करने के लिए उपलब्ध कराने हेतु इस विभाग के पत्रांक–94, दिनांक–19.01.2026 द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना से अनुरोध किया गया था।

4. उपरोक्त के क्रम में सामान्य प्रशासन विभाग ने अपने अधिसूचना सं०–2218, दिनांक–30.01.2026 के द्वारा श्री राजीव कुमार, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक–1040/24, वरीय उप समाहर्त्ता, पटना की सेवा इस विभाग को उपलब्ध करा दिया है। तदनुसार इनकी सेवाएं महानुभाव के आप्त सचिव (राजपत्रित) के रूप में कार्य करने के लिए प्रतिनियुक्ति के आधार पर उपलब्ध कराने हेतु अधिसूचना निर्गत की जाती है। इनकी सेवाएं इस अधिसूचना के निर्गत होने के पश्चात् योगदान की तिथि से उक्त महानुभाव के कार्यकाल तक बनी रहेगी। परन्तु महानुभाव के द्वारा उसके पहले भी किसी भी तिथि से इनकी सेवा समाप्त कर पैतृक विभाग को वापस की जा सकती है। सेवा समाप्ति के बाद वे अपने पैतृक विभाग में योगदान करना सुनिश्चित करेंगे।

5. श्री राजीव कुमार, आप्त सचिव (राजपत्रित) के वेतनादि का भुगतान बिहार विधान सभा सचिवालय द्वारा नियमानुसार किया जाएगा।

आदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना की प्रतियां सभी सम्बन्धित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्राप्त करा दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–
(सुधांशु शेखर)
सरकार के अवर सचिव।

⇨

D:\Format C FINAL_Govt. PS Notification_FAIR COPY(03-09)G-1 N.doc

ज्ञापांक– सं0का0–1 / वि0मं0(महानुभाव)08–02 / 2024–......... / पटना, दिनांक–............. 2026

प्रतिलिपि–महालेखाकार (ले0 एवं हक0) बिहार, पटना, कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना, अवर सचिव, वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग, (वित्त विभाग) पटना, प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा, पटना, लेखा–शाखा, बिहार विधान सभा, श्री नरेन्द्र नारायण यादव, माननीय उपाध्यक्ष, बिहार विधान सभा एवं श्री राजीव कुमार, आप्त सचिव (राजपत्रित) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक– सं0का0–1 / वि0मं0(महानुभाव) 08–02 / 2024–......... / पटना, दिनांक–............. 2026

प्रतिलिपि–उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को उनके ज्ञापांक–2218, दिनांक–30.01.2026 के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित।

ह0 / –

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–सं0का0–1 / वि0मं0(महानुभाव) 08–02 / 2024–236 / पटना, दिनांक–12/02/ 2026

प्रतिलिपि–आई0टी0 मैनेजर, संसदीय कार्य विभाग, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

12-02-2026

सरकार के अवर सचिव।

D:\Format C FINAL_Govt. PS Notification_FAIR COPY(03-09)G-1 N.doc